

2017/00028

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ


प्रकरण संख्या : /2017

बमुक मुन्नीदेवी बनाम मोहनसिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

31.1.2017 आज यह प्रार्थना अभिभाषक सायल की ओर से प्रस्तुत किया ।  
विद्वान अभिभाषक सायल को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।  
प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा संतुलन सायल के पक्ष में प्रतीत होता है ।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायल इस आशय की जारी की जाती है कि वह दिनांक 23.2.2017 तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 1761 रकवा 9 विस्वा वाके ग्राम बसईनबाब-ए तहसील सैपऊ पर रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे । तहसीलदार सैपऊ को तहरीर जारी हो । गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्राचली दिनांक 23.2.2017 को पेश हो।



23.2.17 पत्रावली पेश । वकील सायल डफ पत्रावली वादते तलबी दिनांक 27.4.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ (धौलपुर)

10-5-17 दिनांक 27-4-17 को इज्जत गरीब पेशी निगत होने के कारण आज मह पत्रावली राजस्व लेख आदालत । ईम्प्लोरि अदल सेवा केन्द्र बसई नवाब पर पेश हुई। जोरखामलान के डफ आदर मूलवाद में यह पत्र प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी से इसका कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी पर सायल का कब्जा हुआ है।

तथा मूलवाद को दिखी त्रिसे जाने में मेरुस्थल  
को कोई आपाते नहीं है मूलवाद दिखी त्रिभा जानुका है  
एक। उसी के अनुरूप नार्थना पर 212 R1A निषि  
दिखा जाता है पत्रावली फेसल सुकार होकर वास्वेल  
दफ्तर हो।

मिसे